

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये ऐतिहासिक फैसले

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

रोमेश [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#) [\[5\]](#) [\[6\]](#) [\[7\]](#) [\[8\]](#) [\[9\]](#) [\[10\]](#) (1950) मामले ने [अनुच्छेद 19\(1\)\(a\)](#) के तहत स्वतंत्र भाषण की रक्षा करने, राज्य की मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाने और भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को आकार देने के लिये एक ऐतिहासिक मसाला कायम की।

रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, 1950 मामले के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **पृष्ठभूमि:**
 - वर्ष 1950 में मद्रास सरकार ने पुलिस हिसा की रिपोर्टिंग करने के कारण साप्ताहिक पत्रिका [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#) [\[5\]](#) [\[6\]](#) [\[7\]](#) [\[8\]](#) [\[9\]](#) [\[10\]](#) मद्रास लोक व्यवस्था **अनुरक्षण अधिनियम** के तहत प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण 22 कम्युनिस्ट मारे गए, इस प्रतिबंध को बाद में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई।
- **उच्चतम न्यायालय का फैसला:**
 - मई 1950 में उच्चतम न्यायालय ने मद्रास लोक व्यवस्था **अनुरक्षण अधिनियम** को असंवैधानिक करार दे दिया, जिसमें कहा गया कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर प्रतिबंधों को संकीर्ण रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और इसे "राज्य की सुरक्षा" से जोड़ा जाना चाहिए।
 - न्यायालय ने राज्य की मनमाना रूप से सेंसर करने की शक्त को सीमा तक सीमित करते हुए स्पष्ट किया कि "लोक व्यवस्था" को "राज्य सुरक्षा" के बराबर नहीं माना जा सकता।

नोट:

- [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#) [\[5\]](#) [\[6\]](#) [\[7\]](#) [\[8\]](#) [\[9\]](#) [\[10\]](#) 1950 मामले के प्रत्युत्तर में, सरकार ने वर्ष 1951 में पहला सांविधानिक संशोधन **अधिनियम** पेश किया, जिसमें मुक्त भाषण पर [अनुच्छेद 19\(1\)\(a\)](#) में "युक्तियुक्त प्रतिबंध" जोड़े गए, जिसमें लोक व्यवस्था, अपराध-उद्दीपन और विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध जैसे आधार शामिल थे।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मामले कौन-से हैं?

- [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#) [\[5\]](#) [\[6\]](#) [\[7\]](#) [\[8\]](#) [\[9\]](#) [\[10\]](#), 1950: [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#) [\[5\]](#) में, सर्वोच्च न्यायालय ने [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#) [\[5\]](#) पत्रिका पर लगाए गए समाचार पत्र की पूर्व सेंसरशिप की आवश्यकता वाले प्रावधान को अमान्य कर दिया और स्पष्ट किया कि इस प्रकार की सेंसरशिप वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
 - सर्वोच्च न्यायालय अभिनिरिधारित किया कि **मूल अधिकार** पर प्रतिबंध केवल तभी लगाया जाना चाहिए जब लोक व्यवस्था को स्पष्ट खतरा हो या हिसा को उकसाया जा रहा हो।
 - इस नरिणय ने इस सिद्धांत को पुष्ट किया कि प्रकाशन पर कोई भी पूर्व रोक असंवैधानिक है।
- [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#) [\[5\]](#) [\[6\]](#) [\[7\]](#) [\[8\]](#) [\[9\]](#) [\[10\]](#), 1961: सर्वोच्च न्यायालय ने समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) **अधिनियम, 1956** को रद्द कर दिया, जिसके अंतर्गत समाचार पत्रों के मूल्य नरिधारण, वजिजापन स्थान और सपलमिंट संबंधी प्रतिबंध लगाए गए थे।
 - न्यायालय ने नरिणय सुनाया कि ये प्रतिबंध [अनुच्छेद 19\(1\)\(a\)](#) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन हैं, क्योंकि इनका अनुचित रूप से प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है।
- [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#) [\[5\]](#) [\[6\]](#) [\[7\]](#) [\[8\]](#) [\[9\]](#) [\[10\]](#), 1973: [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#) [\[5\]](#) [\[6\]](#) [\[7\]](#) [\[8\]](#) [\[9\]](#) [\[10\]](#)

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस तरह के प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के तहत अनुचित होने के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस तरह के प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के तहत अनुचित होने के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अनविार्य पहलू है तथा स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बाधित करने के साधन के रूप में समाचार पत्रों पर अत्यधिक करारधान को अनुचित ठहराया तथा इस बात पर बल दिया कि कोई भी प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित होना चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अनविार्य पहलू है तथा स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बाधित करने के साधन के रूप में समाचार पत्रों पर अत्यधिक करारधान को अनुचित ठहराया तथा इस बात पर बल दिया कि कोई भी प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित होना चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अनविार्य पहलू है तथा स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बाधित करने के साधन के रूप में समाचार पत्रों पर अत्यधिक करारधान को अनुचित ठहराया तथा इस बात पर बल दिया कि कोई भी प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित होना चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न: नौवीं अनुसूची को भारत के संविधान में किसके प्रधानमंत्रित्व काल में पेश किया गया था? (2019)

प्रश्न. नौवीं अनुसूची को भारत के संविधान में किसके प्रधानमंत्रित्व काल में पेश किया गया था? (2019)

- (a) जवाहरलाल नेहरू
- (b) लाल बहादुर शास्त्री
- (c) इंदिरा गांधी
- (d) मोरारजी देसाई

उत्तर: (a)